

# कार्यालय प्रधानाचार्य:: जी० एस० वी० एम० मेडिकल कालेज :: कानपुर।

पत्र संख्या- /ई०सी०-1/एन०डी०/2025

दिनांक- / /2025

### - सूचना -

शासन के पत्र संख्या-148/71-1-24/71-1001/804/2020 दिनांक 14 जून 2024 द्वारा राजकीय एसोसिएट मेडिकल कालेजों में रिक्त चिकित्सा शिक्षकों के पदों को संविदा के आधार पर वाक-इन-इंटरव्यू माध्यम से चयन के मामलों में नियुक्ति/सिनारी व अपरिचितों को तत्काल कार्यभार ग्रहण कराये जाने हेतु सेवायोजन विज्ञापित संख्या-01/एन०डी०/2025 दिनांक 01-01-2025 के संदर्भ में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में विभिन्न विभागों/द्रामा सेक्टर के अनारक्षित संविदा के आधार पर आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर सेवायोजन हेतु विज्ञापित की गयी है, जिसके आधार पर सोपी के उपचार/एन०एम०सी० (एम०सी०आई०) मानकों की पूर्ति हेतु इस विज्ञापित मंत्रालय/राज्य स्तरीय/इन्स्टीट्यूट (पी०एम०एस०एस०आई०) रिक्त आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु इन पदों पर चयन वाक-इन-इंटरव्यू (walk-in-interview) पद्धति से शासन द्वारा नियुक्त चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अर्धियों से यह अपेक्षा की जाती है कि यह साक्षात्कार हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ विज्ञापित जारी होने के पर्याप्त माह के शुक्रवार दिनांक 04-04-2025 को परीक्षा हॉल-3, मेडिकल कालेज, कानपुर में प्रातः 10:00 बजे से सायं-04:00 बजे के मध्य उपस्थित हों। अर्धियों को यह भी सूचित किया जाता है कि यह साक्षात्कार के दिवस अपने समस्त भौतिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों तथा एन०एम०सी० की गाइड लाइन के अनुसार सहायक आचार्य हेतु सीनियर रेजीडेन्सी एवं आचार्य/सह आचार्य हेतु एम०ई०सी०/पी०एम०सी०आर० प्रमाण पत्र की (स्व प्रमाणित) छायाप्रतियाँ का एक सेट बायोडाटा सहित भी लायेंगे। चिकित्सा शिक्षकों के पदों की रिक्तियाँ एवं नियुक्ति की शर्तें जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर के वेबसाइट [www.gsvmmmedicalcollege.com](http://www.gsvmmmedicalcollege.com) पर उपलब्ध है। पदों की संख्या घट बढ़ सकती है।

क्र. सं.	विशेषता का नाम	संविदा/चिकित्सा शिक्षकों की रिक्त पदों की संख्या									
		आचार्य	आरक्षित श्रेणी	सेक्टर क्रमांक	सह आचार्य	आरक्षित श्रेणी	सेक्टर क्रमांक	सहायक आचार्य	आरक्षित श्रेणी	सेक्टर क्रमांक	
1	आर्थोपेडिक्स	1	द्रामा	(4)	1	अनारक्षित ओपीसी	(32) (57) (58)	1	एससी	(83)	
2	आयुर्वेद	0	0	0	1	एससी ई०डब्ल्यू०एस	(59) (60)	1	अनारक्षित	(104)	
3	आन्सट्रेटिक्स एण्ड थायनोकोलाजी	0	0	0	1	अनारक्षित	(2)	0	0	0	
4	इम्यूनो हिमेटोलॉजी एण्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन	1	अनारक्षित	(64)	0	0	0	0	0	0	
5	इमरजेन्सी मेडिसिन	1	ओपीसी	(65)	1	अनारक्षित ओपीसी	(66) (67)	1	ई०डब्ल्यू०एस एससी अनारक्षित	(110) (111) (112)	
6	एन्डोक्रायनोलॉजी (सिएनएसएनआई)	1	अनारक्षित	(68)	1	ओपीसी	(37)	1	एससी	(59)	
7	एनाटमी	0	0	0	0	0	0	1	ओपीसी ई०डब्ल्यू०एस ओपीसी अनारक्षित अनारक्षित ओपीसी	(38) (40) (51) (76) (96) (97)	
8	एनेस्थीसिया	0	0	0	1	अनारक्षित ओपीसी अनारक्षित एससी ई०डब्ल्यू०एस ओपीसी अनारक्षित	(6) (9) (68) (69) (70) (71) (72)	1	द्रामा (न्यूसो सर्जरी) 1 1 1	अनारक्षित एससी एससी ओपीसी	(14) (15) (115) (119)
9	आईसीयू/एनेस्थीसियोलॉजी (सिएनएसएनआई)	1	ओपीसी	(39)	1	ओपीसी	(39)	0	0	0	
10	ऑटो लैरिगोलॉजी(ई०एम०टी०)	1	ओपीसी	(57)	0	0	0	0	0	0	
11	कम्युनिटी मेडिसिन	0	0	0	0	0	0	1	ओपीसी ओपीसी एससी ई०डब्ल्यू०एस अनारक्षित	(19) (81) (121) (160) (172)	
12	क्रिटिकल केयर आईसीयू (सिएनएसएनआई)	1	ई०डब्ल्यू०एस	(40)	1	एससी	(41)	1	अनारक्षित	(82)	
13	जनरल मेडिसिन	0	0	0	1	ओपीसी अनारक्षित ओपीसी अनारक्षित एससी ई०डब्ल्यू०एस ओपीसी अनारक्षित एससी अनारक्षित एससी एससी	(75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (104) (105) (31)	1	ई०डब्ल्यू०एस एससी अनारक्षित एससी अनारक्षित ओपीसी एससी अनारक्षित अनारक्षित अनारक्षित अनारक्षित अनारक्षित	(20) (47) (52) (53) (54) (55) (63) (64) (123) (124) (125) (126) (127)	
14	जनरल सर्जरी	0	0	0	1	ओपीसी अनारक्षित ओपीसी अनारक्षित एससी	(85) (86) (87) (88) (89)	1	द्रामा अनारक्षित ओपीसी एससी ई०डब्ल्यू०एस अनारक्षित ओपीसी ई०डब्ल्यू०एस एससी अनारक्षित ओपीसी अनारक्षित अनारक्षित अनारक्षित अनारक्षित अनारक्षित अनारक्षित	(22) (24) (65) (89) (100) (126) (129) (130) (131) (132) (165) (166) (167) (168) (169)	
16	द्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन	0	0	0	1	अनारक्षित ई०डब्ल्यू०एस अनारक्षित	(54) (90) (106)	1	अनारक्षित	(134)	
18	डरमिटोलॉजी (स्किन एण्ड वी०डी०)	1	ओपीसी	(85)	1	ओपीसी ओपीसी	(91) (107)	0	0	0	
17	डिप्लोमा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	न्यूसोलॉजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	न्यूसोसर्जरी	1	ओपीसी	(43)	1	ई०डब्ल्यू०एस	(110)	0	0	0	
20	न्यूसो रेडियोलॉजी (सिएनएसएनआई)	1	अनारक्षित	(42)	1	अनारक्षित	(44)	0	0	0	



21	नेफ्रोलॉजी, (मेडिसिन) नेफ्रोलॉजी(पीएमएसएसवाई)	1	ओपबीपीसी	(27)	0	0	0	0	0	0
22	पीडियाट्रिक्स	0	0	0	1	एसपीसी अनारक्षित ओपबीपीसी	(93) (94) (95)	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	एसपीसी (66) ईओडब्ल्यूएसपी (30) ईओडब्ल्यूएसपी (70) ओपीपीसी (139) ईओडब्ल्यूएसपी (140) एसपीसी (141) ईओडब्ल्यूएसपी (170) ओपीपीसी (171)
23	पैन मेडिसिन (पीएमएसएसवाई)	1	एसपीसी	(45)	1	एसपीसी	(47)	1	1	ओपीपीसी (71)
24	पैथालॉजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	फार्माकालॉजी	1	एसपीसी	(49)	1	एसपीसी अनारक्षित	(25) (34)	1	1	एसपीसी (93)
26	फिजिकल एण्ड मेडिकल रिहबिलिटेशन (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	1	अनारक्षित	(48)	0	0	0
27	फिजियोलॉजी	0	0	0	0	0	0	1	1	अनारक्षित (46) अनारक्षित (94) एसपीसी (145)
28	फोरेन्सिक मेडिसिन	1	अनारक्षित	(52)	0	0	0	1	1	अनारक्षित (96) अनारक्षित (148)
29	बायोकेमिस्ट्री	1	ओपबीपीसी	(51)	1	अनारक्षित	(96)	1	1	एसपीसी (147)
30	माइक्रोबायोलॉजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	यूरोलॉजी (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	0	0	0	1	1	ओपीपीसी (75)
32	रेडियोलॉजी	1	ओपबीपीसी	(37)	1	ईओडब्ल्यूएसपी अनारक्षित एसपीसी ईओडब्ल्यूएसपी एसपीसी अनारक्षित	(30) (98) (99) (100) (101) (102)	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	ओपीपीसी (37) अनारक्षित (38) अनारक्षित (56) अनारक्षित (152) एसपीसी (153) अनारक्षित (154) ओपीपीसी (155) अनारक्षित (156) ओपीपीसी (157) ओपीपीसी (161)
33	साइकियेट्री	1	अनारक्षित	(66)	1	ओपीपीसी	(103)	0	0	0
		16			55			79		


उक्त पदों पर नियमानुसार आखण देय होगा संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत हैं:-

- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन ₹०-2,20,000/-, सह आचार्यों का नियत वेतन ₹०-1,60,000/-, सहायक आचार्यों का नियत वेतन ₹०-1,20,000/- एवं प्रवक्ता फार्मसी पद हेतु-₹० 75000/- प्रतिमाह है। इस हेतु आवेदनकर्ता को Medical Council of India, Minimum Qualification For Teachers in Medical Institutions Regulations, 2022 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अहताएं एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
- शासनादेश संख्या- 2282/71-1-2013-जी-11/2011 दिनांक 23-09-2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत्ति चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।
- शासनादेश सं-562/71-1-2020-जी-63/2008 दिनांक 10 जून, 2020 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
- चयन से सम्बन्धित कालेज से उत्तीर्ण अर्थव्यय तथा नये स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अर्थव्यय को पूर्ववर्ती अर्थव्यय पर वरीयता प्रदान की जायेगी।
- चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अहता/शैक्षिक अनुभव उ० प्र० राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अथवा प्रो० की जारी सेवा नियमावली (पंचम संशोधन)-2018 एवं समय-समय पर पूर्व में निर्गत सेवा नियमावली में नियत व्यवस्था को अनुसरण होगी।
- ओपीपीसी के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
- कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आये योगियों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
- उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/वत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमत्त नहीं होंगे।
- संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
- ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा से चयनित अर्थव्यय/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर कार्यकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि यह करार होने के 30 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त समयवाधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार की पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे उक्त कालावधि के लिए कोई बोनस देय नहीं होंगे।
- चिकित्सा शिक्षकों शासकीय सेवा में विनियमनकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
- संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय 01 माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन मुग्तान करके समाप्त की जा सकती है।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसे करार या अनुबंध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के अनुबंध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं अपने कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमनकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमत्त होगी।
- अर्थव्ययों से साक्षात्कार के समय इस आशय का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है, यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी।
- उ०प्र०शासन, कार्मिक अनुमान-2, उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-II दिनांक 18-02-2019 के अन्तर्गत ईओडब्ल्यूएसपी (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के आखण का लाभ प्राप्त करने हेतु कुल वार्षिक आय ₹० 8.00 लाख से कम होगी तथा परिवार की आय और परिस्थिति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिवार्य अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण नेट पर देखा जा सकता है।
- सुपर स्पेशियलिटी के पदों की शैक्षिक अहता नवीन एन०एम०सी० गाइड लाइन के अनुसार अनुमत्त होगी।
- सुपर स्पेशियलिटी के पदों का समायोजन होने की दशा में पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
- जो अर्थव्यय एम०डी०/एम०एस० के अतिरिक्त कोई अन्य योग्यता रखता/रखती है, तो उसे वरीयता दी जायेगी।

प्रधानाचार्य  
मेडिकल कालेज, कानपुर

सं०-103 / तददिनांक

- प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
  - समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ०प्र०।
  - नोडल अधिकारी वेब साइट, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

  
प्रधानाचार्य  
मेडिकल कालेज, कानपुर